Regarding Deposit Insurance

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया । आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की ओर से एक गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ । वर्तमान में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो केवल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को ही बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है । यह सीमा वर्ष 2020 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई थी । लेकिन आज के समय में जब आर्थिक अस्थिरता और महंगाई दोनों बढ़ रही हैं, तो यह सीमा अपर्याप्त साबित हो रही है ।

डीआईसीजीसी बैंक की संपूर्ण जमा राशि पर प्रीमियम वसूल करता है । यह बीमा सिद्धांतों के विपरीत है और अन्यायपूर्ण है । वह केवल 5 लाख रुपये तक बीमा का भुगतान करता है । वर्ष 2023-24 में डीआईसीजीसी ने 23,879 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में वसूले, जबकि स्थापना से अब तक केवल 16,326 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है । डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, फिर भी जमाकर्ताओं को राहत नहीं मिलती ।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर सभी डिपॉजिट्स को 100 परसेंट बीमा सुरक्षा दी जाए । डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 को हटाया जाए, ताकि डीआईसीजीसी बीमा भुगतान की राशि बैंक की परिसंपत्तियों से वसूल न करे । जिन जमाकर्ताओं की राशि 5 लाख रुपये से अधिक है और जिन बैंकों से डीआईसीजीसी ने प्रीमियम लिया है, उन्हें भी 100 परसेंट राशि लौटाई जाए । ? (व्यवधान)